

दैनिक प्रातःकाल
दिनांक.....पृष्ठ सं. 3
18/9/2023

29

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक जविप्रा/जनसम्पर्क/2023/डी-बी-181 दिनांक : 17.09.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	भूखण्ड संख्या /आवास संख्या	ग.नि.स.स.लि./योजना का नाम	आवेदक
1	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	एफ-22-सी	सुमेर नगर विस्तार-एफ योजना, मित्र ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	विनीता ठाकुर
2	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	खसरा नं. 485 गू.सं. 134	ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर में सुमेर नगर विस्तार-एफ योजना, मित्र ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुकेश यादव
3	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	54-A-WP	लक्ष्मी नगर योजना, कीर्ति नगर कॉ.हो.सो.लि. लीजडीड हेतु	फूलमती देवी
4	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	146	अमृत नगर योजना, नागरिक ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुन्नालाल अग्रवाल, बालकिशोर अग्रवाल, हरिशंकर गुप्ता
5	पीआरएन दक्षिण प्रथम	74	श्री श्याम विहार योजना, मीनावाला ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	श्री कैलाश सेनी पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल सेनी
6	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	134	श्री धनराज सिटी योजना, मीनावाला ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुकेश यादव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक : जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3058 दिनांक : 15.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 30 मीटर सैक्टर सड़क (60 मीटर सैक्टर रोड़ में से निकलकर रिंग रोड़ को जोड़ने वाली 30 मीटर सैक्टर रोड़) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 476/1 रकबा 2.4400 हेक्टेयर में से 4939.17 व.मी. के खातेदार श्री नरेन्द्र एवं प्रदीप पुत्रान श्री रामकिशोर द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-08 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

रज.सं.सं/डी/23/9455

सचिव

महेश कुमार 515
दि. 18/9/2023

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक जविप्रा/जनसम्पर्क/2023/डी-बी-181 दिनांक : 17.09.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	भूखण्ड संख्या /आवास संख्या	ग.नि.स.स.लि./योजना का नाम	आवेदक
1	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	एफ-22-सी	सुमेर नगर विस्तार-एफ योजना, मित्र ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	विनीता ठाकुर
2	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	खसरा नं. 485 गू.सं. 134	ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर में सुमेर नगर विस्तार-एफ योजना, मित्र ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुकेश यादव
3	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	54-A-WP	लक्ष्मी नगर योजना, कीर्ति नगर कॉ.हो.सो.लि. लीजडीड हेतु	फूलमती देवी
4	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	146	अमृत नगर योजना, नागरिक ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुन्नालाल अग्रवाल, बालकिशोर अग्रवाल, हरिशंकर गुप्ता
5	पीआरएन दक्षिण प्रथम	74	श्री श्याम विहार योजना, मीनावाला ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	श्री कैलाश सेनी पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल सेनी
6	पीआरएन दक्षिण द्वितीय	134	श्री धनराज सिटी योजना, मीनावाला ग.नि.स.स.लि., लीजडीड हेतु	मुकेश यादव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक : जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3058 दिनांक : 15.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 30 मीटर सैक्टर सड़क (60 मीटर सैक्टर रोड़ में से निकलकर रिंग रोड़ को जोड़ने वाली 30 मीटर सैक्टर रोड़) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 476/1 रकबा 2.4400 हेक्टेयर में से 4939.17 व.मी. के खातेदार श्री नरेन्द्र एवं प्रदीप पुत्रान श्री रामकिशोर द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-08 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

रज.सं.सं/डी/23/9455

सचिव